न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 12/16 दायर दिनांक: 24.02.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00019

उनवान

1 मूला पुत्र नारायन (मृतक) जाति गूजर नि. नरहरपुर तह. वैर जिला भरतपुर 1/1 पूरनसिंह 1/2 कुँवरसिंह पुत्रान भँवर 1/3 ऊगन्ती पत्नि जगनसिंह 1/4 कुलदीप 1/5 हेमेन्द्र 1/6 धीरेन्द्र 1/7 मननेन्द्र पुत्रान जगनसिंह जातियान गूजर नि. नरहरपुर तह. वैर जिला भरतपुर 1/8 रामश्री पुत्री भँवर पत्नि ज्वानसिंह जाति गूजर नि. ताजपुर तह. वैर जिला भरतपुर 2 दुर्गाप्रसाद 3 दौलतराम पुत्रान भँवरसिंह 4 बोदन पुत्र भँवरसिंह (मृतक) 4/1 सौमोती पत्नि बोदनसिंह 4/2 मुकेश 4/3 दिनेशचन्द पुत्रान बोदनसिंह जातियान गूजर नि. नरहरपुर तह. वैर जिला भरतपुर 4/4 अनीता उर्फ अतरी पुत्री बोदनसिंह पत्नि दयाराम जाति गूजर नि. रतनऊआ तह. बयाना जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 रघुनाथ पुत्र अमोलक जाति ब्राह्मण नि. नरहरपुर तह. वैर 2 रामकली पुत्री अमोलक पत्नि दौजीराम जाति ब्राह्मण नि. खांगरी तह. नदबई 3 शिवदेई पुत्री अमोलक पत्नि निरंजन जाति ब्राह्मण नि. त्यौहारी तह. वैर हाल नि. यश आई.टी.आई. के सामने मनोहरपुर का नंगला कनावर तह. बयाना 4 सत्यवती पुत्री अमोलक पत्नि केशव जाति ब्राह्मण नि. लखनपुर तह. वैर हाल नि. लखनपुर वाले नया बस स्टैण्ड किला रोड कस्बा वैर तह. वैर 5 अनिता उर्फ अनूप पुत्री चन्दादेवी पत्नि होतीलाल जाति ब्राह्मण नि. शेखपुर तह. बयाना 6 अंजना उर्फ अजन्ता पुत्री चन्दादेवी पत्नि रामकिशन जाति ब्राह्मण नि. शेखपुर तह. बयाना 7 योगेन्द्र 8 बबलू 9 भूपेन्द्र पुत्रान जगदीश माँ चन्दादेवी जाति ब्राह्मण नि. लखनपुर तह. वैर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादीगण

10 कुँवरकिशोर पुत्र रामजीलाल 11 शान्ती वेवा रामजीलाल जातियान ब्राह्मण नि. नरहरपुर तह. वैर 12 धर्मवती पुत्री रामजीलाल पत्नि लीलाराम जाति ब्राह्मण नि. खांगरी तह. नदबई 13 लवलेश 14 निरंजन पुत्रान कल्लू जातियान ब्राह्मण नाबालिगान जरिये संरक्षक पिता कल्लूराम नि. भुसावर 15 फतेहसिंह पुत्र सिरमौहर जाति गूजर नि. नरहरपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर

——तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:—

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——वादी सं. 1/1, 1/5, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3
2 श्री छोटेलाल मीना ——वादी सं. 1/2, 1/3 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 4/4
3 सुशील पाण्डेय ——प्रति.सं. 1
4 राजीव शर्मा ——प्रति.सं. 3
5 प्रवीण मिश्र ——प्रति.सं. 12

निर्णय दिनांक 19/01/2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद के समस्त पक्षकारान स्वस्थ्य चित्त हैं, कोई भी पक्षकार फातुल अक्ल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 नावालिगान है, इसलिये उनके विरूद्ध वाद जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता पेश किया जा रहा है, शेष सभी पक्षकारान बालिग है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजात अनुसार वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता भँवरसिंह, सिरमौहर पुत्र जैसीराम, रामजीलाल पुत्र सुखचन्द, रामपति पुत्री रामजीलाल, चन्दा पुत्री अमोलक की मृत्यु हो चुकी है, जिसके पर्याप्त वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

आराजी खसरा नंबरान 1296 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, 1297 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बारौली तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी संख्या एक 1/8 हिस्से का व वादी संख्या दो लगायत चार 1/8 हिस्से में वाहिस्सा बराबर के तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 फतेहसिंह 1/4 हिस्से का व शेष 1/2 हिस्से के मृतक रामजीलाल पुत्र सुखचन्द के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है, अपने-2 हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पिता/नाना अमोलक ने उक्त विवादित आराजी में निहित अपना 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय भंवरसिंह को आधा निस्फ हिस्सा यानि कुल का 1/4 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 फतेहसिंह के स्वर्गीय पिता सिरमौहर पुत्र जैसीराम को निस्फ यानि कुल का 1/4 हिस्सा को दिनांक 22.05.1982 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुवलिक 4000/- रूपये में संयुक्त रूप से क्रय किया था और तभी से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार अमोलक से क्रय शुदा पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम गलत इन्द्राज है, को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज उनके हिस्से अनुसार किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा श्री सुशील पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से मीमो श्री प्रवीण मिश्र एड. द्वारा पेश किया गया तथा वाद में वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 12 द्वारा कई अवसर के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनाम एवं जवाब श्री राजीव शर्मा एड. द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 की ओर से वाद तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 की ओर से मीमो के बाद वकालतनामा पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादी मूला व बोदन के वारिसान की ओर से वकालतनामा श्री छोटेलाल मीना एड. द्वारा पेश किया गया।

उभय पक्षकारान के दावे एवं जवाब दावे के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात दिनांक 14.06.2023 को कायम की गई।

तनकीयात के बाद साक्ष्य वादी के रूप में शपथ पत्र पी डब्ल्यू-1 दौलतराम, शपथ पत्र मुकेश पीडब्ल्यू-2, शपथ पत्र सौमोती पी डब्ल्यू-3, शपथ पत्र पूरन पी डब्ल्यू-4 द्वारा पेश किया गया।

उक्त प्रतिवादीगणसंख्या 1, 3, 12 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर जिरह अधिवक्ता निल रही तथा मुख्य परीक्षा ही की गई।

वादीगण की ओर निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये-

प्रदर्श-1 विक्रय पत्र 28.05.1982, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2071-74, प्रदर्श-3ए मृत्यु प्रमाण पत्र मूला, प्रदर्श-4ए मृत्यु प्रमाण पत्र बोदन, प्रदर्श-5ए मृत्यु प्रमाण पत्र निहाली, प्रदर्श-6ए मृत्यु प्रमाण पत्र भौती देवी, प्रदर्श-7ए मृत्यु प्रमाण पत्र जगनसिंह, प्रदर्श-8ए मृत्यु प्रमाण पत्र बादामी, प्रदर्श-9ए मृत्यु प्रमाण पत्र भंवरसिंह पुत्र नारायन, प्रदर्श-10ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) भंवरसिंह पुत्र नारायन, प्रदर्श-11ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) निहाली पत्नि सिरमौहर, प्रदर्श-12ए सरपंच शहदपुर (महवा) प्रमाण पत्र, प्रदर्श-13ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) मूला पुत्र नारायन, प्रदर्श-14ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) भौती पत्नि भंवरसिंह, प्रदर्श-15ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) जगनसिंह पुत्र भंवरसिंह, प्रदर्श-16ए वारिस प्रमाण पत्र (सजरा) बोदनसिंह पुत्र भंवरसिंह।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादीगण अधिवक्ताओं की दलीलों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी संख्या 1:– आया आराजी खसरा नंबर 1296, 1297 वाके ग्राम बारौली में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–2 हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी एवं प्रदर्श–1 विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1982 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिससे तनकी संख्या 1 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 फतेहसिंह के स्वर्गीय पिता सिरमौहर पुत्र जैसीराम को निस्फ यानि कुल का 1/4 हिस्सा को दिनांक 22.05.1982 को जरिये विक्रय पत्र मुवलिक 4000/– में संयुक्त रूप से क्रय किया गया था।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1982 पेश किया गया। जिसमें फतेहसिंह के पिता स्वर्गीय सिरमौहर पुत्र जैसीराम को निस्फ यानि कुल का 1/4 हिस्सा को संयुक्त रूप से बेचा गया है। अतः तनकी संख्या 2 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:– आया उक्त वयनामा के आधार पर रिकॉर्ड में अमल दरामद न होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के मन में बदयान्ती आ गई है और वे आराजी से बेदखल कर किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुंतकिल करने पर आमदा है।

इस तनकी को सिद्ध का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड और अपने दावे में प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया है। जिससे तनकी संख्या 3 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:– आया वादीगण का उक्त वर्णित आराजीयात के किसी भी अंश भाग से कोई संबंध व सरोकार किसी का कभी भी नहीं रहा है। प्रतिवादिनी (शिवदेई) के पिता की मृत्यु होने के पश्चात उसके वारिसान का नामान्तरकरण दर्ज हो गया, जो जमाबन्दी संवत 2075–78 में दर्ज है।

इस तनकी को प्रतिवादी संख्या 3 पर था, किन्तु उन्होंने इस बाबत न तो जमाबन्दी के अलावा कोई साक्ष्य ही पेश किया गया न ही वे जिरह में उपस्थित हुये, जबकि विक्रय पत्र के आधार पर जमाबन्दी में न होने के कारण ही दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5:– आया प्रतिवादिनी उक्त विरासत से प्राप्त आराजी के 1/20 हिस्से पर अपने पिता के जीवन काल से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था, जिसके संबंध में यह है कि वे वक्त जिरह, बहस पर कई अवसर के बाद भी उपस्थित नहीं आये, जबकि वादीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर अमल नहीं होने बाबत ही तो प्रस्तुत किया गया। जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम होना तो वादीगण द्वारा ही जारि किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर अमल बाबत ही दावा पेश किया गया है। अतः तनकी संख्या 5 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6:– आया प्रतिवादिनी के पिता द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी का कोई हिस्सा वादीगण के पिता मृतक भंवरसिंह को विक्रय नहीं किया गया और ना ही तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 के पिता सिरमौहर (मृतक) को विक्रय किया, ये सब बातें गलत हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य जमाबन्दी के अलावा पेश नहीं किया। ना ही दौराने जिरह ही उपस्थित आई, जबकि वादीगण द्वारा इस बाबत विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1982 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। अतः तनकी संख्या 6 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 निर्णित की जाती है।

दादरसी:– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 वहक वादीगण निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 लगायत 6 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1296 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, 1297 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बारौली

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

तह. भुसावर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 मूला (मृतक) के विधिक वारिसान 1/1 लगायत 1/8 व वादी संख्या 2 दुर्गाप्रसाद, वादी संख्या 3 दौलतराम, वादी संख्या 4 बोदन (मृतक) के वारिसान 4/1 लगायत 4/4 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 15 फतेहसिंह को विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 के मुताबिक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। इसी अनुरूप कागजात पटवार में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०